

अज अदालत..... मुकाम.....

..... बसनाम बनाम
वसुताराम उर्फ सुलताराम तहसीलदार बाबु

किस्म मुकदमा... 136,131 PERACT नं. 148/20 सन् 2020

तारीख हुकम	हुकम कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
07/07/2020	<p>प्रार्थी/वादी/अपीलांत के वकील श्री <u>किशनाराम</u></p> <p>ने यह प्रार्थना पत्र/वाद/अपील धारा <u>136, 131 PERACT</u></p> <p>राजस्थान काश्तकारी/भू राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत पेश किया है।</p> <p>जो दर्ज रजिस्टर हो। विप्रार्थी/प्रतिवादी/रेस्पोंडेंट जरिये नोटिस/सम्पन</p> <p>तलब होकर पत्रावली वास्ते जवाब दिनांक <u>29/07/2020</u> को पेश हो।</p> <p><u>तहसीलदार बाबु से रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है।</u></p> <p><u>इस तहसील जारी है।</u></p> <p><u>किशनाराम</u></p> <p>सहायक कलेक्टर (SDO)</p>	
29/07/20	<p>प्रार्थी वकील उपस्थित। तहसील-</p> <p>दार बाबु से रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई</p> <p>है। अंतर्गत दोष पत्रावली दिनांक <u>11/08/2020</u></p> <p>को पेश है।</p> <p><u>किशनाराम</u></p> <p>सहायक कलेक्टर (SDO)</p>	
11/08/2020	<p>प्रार्थी वकील उपस्थित। तहसील-</p> <p>दार बाबु से रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है।</p> <p>अपील पीठमिन प्रविडारी मण्डल में</p> <p>पधारें हुए है। अतः मिकाल इलतवा दोष</p> <p>प्रमाणों दिनांक <u>31/08/2020</u> को पेश है।</p> <p><u>किशनाराम</u></p>	



31/08/2020

अर्थी वहील उपस्थित। लक्ष्मीलाल बाबु
 से जाँच रिपोर्ट प्राप्त जिसे शामिल पत्रावली
 किया गया। अर्थी अधिवक्ता श्री मूल क्रॉकेडन
 व जाँच रिपोर्ट पर बहस सुनी गई, पत्रा-
 वली व पत्रावली के संलग्न राजस्व रीकॉर्ड
 व फिलम डालावेजो का क्रॉकेडन किया गया
 बाबु क्रॉकेडन अर्थी का क्रॉकेडन स्वीकार किया
 जाकर फादेश केलग से लिया जाकर शामिल
 पत्रावली किया गया। पत्रावली फिलम शुमार
 है, दर्ज नम्बर से इस ही फाइल उपलब्ध है।

सिद्धपाल
 सहायक सल्लर (SDO)
 बाबु

31/08/2020

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, बायतु

(पीठासीन अधिकारी विवेक व्यास R.A.S.)

राजस्व आवेदन संख्या 148/2020

प्रार्थी

बनाम

विप्रार्थीगण

बस्ताराम उर्फ सताराम पुत्र गोरधनराम
जाति-दर्जी, निवासी-लापला,
तहसील-बायतु जिला-बाड़मेर

तहसीलदार, बायतु

राजस्व आवेदन अन्तर्गत धारा 131, 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956.

उपस्थित :- 1. श्री किशनाराम वकील प्रार्थी

निर्णय

दिनांक : 31/08/2020

प्रार्थी श्री बसताराम उर्फ सताराम पुत्र गोरधनराम जाति-दर्जी, निवासी-लापला, तहसील-बायतु जिला-बाड़मेर की ओर से वकील श्री किशनाराम द्वारा रिकॉर्ड दुरस्ती का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131, 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 पेश किया।

प्रार्थी वकील द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थी की खातेदारी भूमि मौजा लापला पटवार मण्डल कोसरिया तहसील बायतु के खेत खसरा नम्बर 575 रकबा 1.3187 हैक्टेयर व मौजा कोसरिया पटवार मण्डल कोसरिया के खेत खसरा नम्बर 10 रकबा 10.9053 हैक्टेयर का आया हुआ है मौजा कोसरिया में प्रार्थी का नाम बस्ताराम पुत्र गोरधनराम दर्ज है जबकि मौजा लापला में प्रार्थी का नाम सताराम पुत्र गोरधनराम दर्ज है जबकि प्रार्थी का सही नाम बस्ताराम है।

प्रार्थना-पत्र दर्ज रजिस्टर कर, विप्रार्थीगण को सम्मन जारी किये गये तथा विप्रार्थीगण तहसीलदार बायतु से मौका रिपोर्ट प्राप्त की गई। विप्रार्थीगण द्वारा मौका रिपोर्ट में प्रार्थी का नाम बस्ताराम पुत्र गोरधनराम दर्ज करने की अनुशंसा की गई है।

पत्रावली के संलग्न दस्तावेजों व विप्रार्थी की मौका रिपोर्ट के अवलोकन से स्पष्ट है कि मौजा लापला की आराजी में प्रार्थी का नाम भूलवंश बस्ताराम पुत्र गोरधनराम के स्थान पर सताराम पुत्र गोरधनराम दर्ज हो गया। अतः राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 136 के अनुसरण में वर्तमान में दर्ज प्रविष्टि को निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद के आदेश दिये जाते हैं।

क्र. स.	ग्राम	खाता संख्या	खसरा संख्या	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध प्रविष्टि)	आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज की जानी है)
	लापला	3	575	सताराम पुत्र गोरधनराम हिस्सा 1/8	बस्ताराम पुत्र गोरधनराम हिस्सा 1/8

तहसीलदार, बायतु आदेशानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद करें।

निर्णय आज दिनांक 31/08/2020 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(विवेक व्यास)

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी, बायतु (SDO)

